

प्रेषक,

संख्या- 2937/15-17-89-63/8/88

श्री गिरजा शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

केवा में,

लेकडरी,
तेन्दुल बोर्ड आफ लेकडरी सूबेखान,
2/19, संत विहार अंतारी रोड,
दौर्यागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा 17 अनुभाग

तखाना: दिनांक 30 अक्टूबर, 1989

विषय:- जगत तारन गोल्डेन बुकरी स्कूल, इलाहाबाद को अनापीत्त प्रमाण पत्र
दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि जगत तारन गोल्डेन बुकरी स्कूल,
इलाहाबाद को तेन्दुल बोर्ड आफ लेकडरी सूबेखान, नई दिल्ली से सम्बन्धता
प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नीतिगत प्रतिबन्धों/ शर्तों के
अधीन आपीत्त नहीं है :-

1. सामान्य प्रतिबन्ध

- 11] विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 12] विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्धन आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनके उपर 0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
- 13] संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 14] संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मीसों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मीसों को अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 15] राज्य सरकार अध्या शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्मित किए जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 16] विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

ख] विशेष प्रतिबन्ध

- 11] विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उक्त समितीकरण भी कराया जायेगा ।
 - 12] विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-ब्लॉक, दो वैकल्पिक विद्युत कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।
 - 13] कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायताप्राप्त आवासकीय उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
 - 14] विद्यालय का सेवा-योजना निर्धारित प्रपत्रों/ ~~पत्रों~~ परिषदों में रखा जायेगा ।
- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उत्सर्जन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापीत प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भयदीप,


॥ गिरजा शंकर मिश्र ॥
अनु सचिव।

संख्या- 2937/15-17-89-तदीदनांक

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1] शिक्षा निदेशक, उ.प्र., प्रिन्सिपल कार्यालय, लखनऊ ।
- 2] मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, ^{इलाहाबाद} ~~लखनऊ~~ मण्डल, ~~लखनऊ~~ इलाहाबाद ।
- 3] प्रबन्धक, जगत तारन मोल्लेन बुकरी स्कूल, इलाहाबाद ।
- 4] निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ.प्र., लखनऊ ।
- 5] जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~लखनऊ~~ इलाहाबाद ।

आज्ञा से,


॥ गिरजा शंकर मिश्र ॥
अनु सचिव।

Registered